



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-21.01.2025

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद:-

दिनांक 20.01.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. आकाश पुत्र प्रमोद निवासी एपेक्स सिटी ट्रांसपोर्ट नगर जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अवैध चाकू।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 07 अलग-अलग मामलों में 06 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 17,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1. वर्ष 2001 में अभियुक्त कालू पुत्र गिरवर निवासी ग्राम मतनवाली थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 80/2001 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
2. वर्ष 2001 में अभियुक्त दिलशाद पुत्र सलामू निवासी ग्राम बसेड़ा थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 246/2001 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
3. वर्ष 1996 में अभियुक्त वाजिद पुत्र अलीहसन निवासी नई बस्ती थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 120/1996 धारा 323/324/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 2000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
4. वर्ष 2012 में अभियुक्त शाहदीन पुत्र सफी निवासी ग्राम बरनावी थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 68/2012 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
5. वर्ष 2019 में अभियुक्त अब्दुर रहमान पुत्र गयूर कुशैशी निवासी ग्राम गढी अब्दुला खाँ थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 105/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 3500/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
6. वर्ष 2024 में अभियुक्त वाजिद पुत्र दिलशाद नि गंगा आर्यनगर जलालाबाद थानाभवन शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 135/2024 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 5000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
7. वर्ष 2024 में अभियुक्त वाजिद पुत्र दिलशाद नि गंगा आर्यनगर जलालाबाद थानाभवन शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 137/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.01.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 500/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1. कालू पुत्र गिरवर निवासी ग्राम मतनवाली थाना कांधला जनपद शामली।
2. दिलशाद पुत्र सलामू निवासी ग्राम बसेड़ा थाना कैराना जनपद शामली।
3. वाजिद पुत्र अलीहसन निवासी नई बस्ती थाना कांधला जनपद शामली।
4. शाहदीन पुत्र सफी निवासी ग्राम बरनावी थाना कैराना जनपद शामली।
5. अब्दुर रहमान पुत्र गयूर कुशैशी निवासी ग्राम गढी अब्दुला खाँ थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
6. वाजिद पुत्र दिलशाद नि गंगा आर्यनगर जलालाबाद थानाभवन शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI